पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या —186/2025

अनवान :

दिवेश पूनियां पुत्र राजेश पूनियां जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1.असमिला पत्नी राजेश जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.राजेश पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3.स्वाती पूनियां पुत्री राजेश जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :—वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह :—प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 13/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से चकनं0 9 केएसपी के खाता सं0 6/10 में कुल 4.554 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 9 केएसपी के खाता सं0 6/10 मे से प्रतिवादीया सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड (सत्यनारायण R.A.S)
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner